

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

—: आदेश :—

क्रमांक :- स्था./2024/ 12

दिनांक :- 18.01.2024

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2023/1515 दिनांक 28.07.2023, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/1/A-4(i)(a)/151/2022/54 Dated 16-01-2024 तथा राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासमय संशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को आशुलिपिक ग्रेड-III (ENGLISH) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ-15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/- रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर पुलिस सत्यापन के अधीन (Subject to Police Verification) निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

S. No.	Name of Candidate	Merit No.	Date of Birth	Category		Address
				Original Category	Selection Category	
01	RASHU D/O KRISHAN KUMAR	03	27-10-2000	GEN	GEN	HOUSE NO. 15/0120, STREET NO.3, DR. PARVEEN EYE HOSPITAL WALI GALLI, COURT COLONY, SIRSA

- उक्त सभी नियुक्तियां आशुलिपिक ग्रेड-III व II की संयुक्त परीक्षा 2023 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नव नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीक्षाकाल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मैट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गयी है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पायी गयी तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी अतः अभ्यर्थी निम्नांकित मूल दस्तावेजात सहित उपस्थित आवें :-
 - शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी समस्त प्रमाण पत्र
 - कम्प्यूटर योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र
 - जन्म तिथि सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र
 - जाति प्रमाण पत्र
 - दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हो
 - अंतिम शिक्षण संस्थापन का चरित्र प्रमाण पत्र
 - पहचान हेतु आधार एवं मूल निवास प्रमाण पत्र
 - विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र
 - विवाह पर दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र
 - संतान संबंधी घोषणा पत्र
 - चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा
 - न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं होने एवं व आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं होने का शपथ पत्र
 - दो नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनःभरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
- राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रों के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
- अभ्यर्थी को दिनांक 29.01.2024 को जिला एवं सेशन न्यायालय हनुमानगढ़ में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- नव नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


(हरी ओम अत्री)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़


//2//

क्रमांक :- स्था./2024/ 184

दिनांक :- 18.01.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- RASHU D/O KRISHAN KUMAR, HOUSE NO. 15/120, STREET NO.3, DR. PARVEEN EYE HOSPITAL WALI GALI, COURT COLONY, SIRSA (PIN-125055)
- 2- GUARD FILE/PERSONAL FILE RELATED CANDIDATE



जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़